न्यायालयः– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांचौर, जिला जालोर।

पीठासीन अधिकारी	–	**हिम्मत राज (आर.जे.एस.)**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	–	539/2017 (54/2011)
सी.आई.एस. नंबर	–	1896/2014

01. राजस्थान राज्य जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी, सांचौर, जालोर

........अभियोगी

बनाम

1. खानुखां पुत्र सादीखां, जाति दल सिंधी मुसलमान, उम्र 48 वर्ष, निवासी सिंहानिया, पुलिस थाना सेड़वा, जिला बाड़मेर। **(फौत कार्यवाही ड्रॉप दिनांक 24.02.2026)**
2. दिनेश कुमार उर्फ दिनिया पुत्र चुतराराम, जाति विश्नोई, उम्र 37 वर्ष, निवासी सिसावा, पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालोर।

........अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 411, 414 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित :–

01 विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

02 श्री जालाराम पुनिया, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांकः 29.04.2026**

(प्रकरण 10 वर्ष से अधिक पुराना)

01. प्रस्तुत प्रकरण पुलिस थाना चितलवाना ने जरिये सहायक अभियोजन अधिकारी अभियुक्तगण दिनेश वगैरह के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 411, 414 भारतीय दण्ड संहिता में प्रस्तुत किया, जो फौजदारी मूल प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर हुआ। उक्त प्रकरण माननीय मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट जालोर के आदेश की अनुपालना में न्यायालय श्रीमान् अति. मुख्य न्यायिक के जरिये इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ जिस पर प्रकरण का विचारण पूर्ण होने के पश्चात व **अभियुक्त खानु खां की फौत हो जाने से उक्त अभियुक्त के विरूद्व दिनांक 24.02.2026 को कार्यवाही ड्रॉप हो जाने** के चलते शेष अभियुक्त दिनेश कुमार की हद तक इस आदेश के द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रस्तुत प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.09.2010 को वक्त 11.30 एएम पर श्री मोहनलाल एएसआई ने उपस्थित थाना होकर एक

लिखित रिपोर्ट इस मजमून की पेश की कि माफिक निर्देश थाना से वक्त 8.15 एएम मन एएसआई मोहनलाल, कानि. भंवरलाल 709, कानि. ओखाराम 461, कानि. ओमाराम 190 जरिये सरकारी जीप चालक श्रवणकुमार 726 के मय अनुसंधान बॉक्स के रवाना होकर वक्त 9 एएम पर सिसावा फांटा बाकासर रोड पर पहुंचा एवं नाकाबंदी शुरू की गई तो दौराने नाकाबंदी वक्त 09.10 एएम पर एक बोलेरो टरोला बिना नंबरी सफेद रंग का बाकासर की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको मन एएसआई मय जाब्ता ने ईशारा देकर रूकवाया जाकर चेक किया तो बोलेरो ट्रोला के ड्राईवर का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम कानु खां पुत्र सादी खां जाति दल सिंधी मुसलमान उम्र 32 साल निवासी सिंहानिया पुलिस थाना सेडवा जिला बाड़मेर होना बताया व बोलेरो जीप ट्रोला के कागजात के बारे में पूछा तो एकदम घबरा गया एवं कहने लगा कि उसकी कोई गलती नहीं है एवं उसके पास बोलेरो जीप ट्रोला के कोई कागजात वगैरा नहीं है। यह ट्रोला उसे दिनेश पुत्र चुतराराम जाति कड़वासरा विश्नोई उम्र 22 साल निवासी सिसावा व ओमप्रकाश उर्फ श्रवण पुत्र लादुराम विश्नोई उम्र 23 साल निवासी खारकी बेरी रोहिला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाडमेर वालों ने उसे 50,000/— रुपये में बेचा है एवं कहा कि वे बैठे है जवाब अपने आप देंगे, तु केवल इस ट्रोले को अपने पास रखकर काम लेता रह एवं इधर—उधर की बाते करने लगा। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहा है। मामला प्रथमदृष्ट्या संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। दिनेश व ओमप्रकाश उर्फ श्रवण भी संदिग्ध व्यक्ति होना जानकारी में आया है......................इत्यादि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चितलवाना में मुकदमा नंबर 96/2010 अंतर्गत धारा 411, 414 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज हुआ एवं बाद अनुसंधान अभियुक्तगण दिनेश वगैरह के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 411, 414 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप—पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्तगण दिनेश वगैरह के विरूद्व आरोप—पत्र पेश होने पर अभियुक्तगण दिनेश वगैरह के विरूद्व अपराध अंतर्गत धारा 411, 414 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया गया। बाद बहस चार्ज उक्त अभियुक्तगण को धारा 411, 414 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने सुन समझ आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 01 ओखाराम, पी.डब्ल्यू. 02 भंवरलाल, पी.डब्ल्यू. 03 ओमाराम, पी.डब्ल्यू. 04 सुलेमान, पी.डब्ल्यू. 05 मोहनलाल, पी.डब्ल्यू. 06 गनी खांन, पी.डब्ल्यू. 07 मानाराम, पी.डब्ल्यू. 08 गोसाइराम, पी.डब्ल्यू. 09 इब्राहिम, पी.डब्ल्यू. 10 सहदेह व पी.डब्ल्यू. 11 प्रेमाराम के बयान लेखबद्व कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्द जब्ती बिना

नंबरी बोलेरो जीप ट्रोला प्रदर्श पी 1, बरामदगी स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी. 2, फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त खानु खां प्रदर्श पी. 3, गवाह सुलेमान के पुलिस बयान प्रदर्श पी 4, पुलिस रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5, रवानगी रपट प्रदर्श पी. 6, गवाह गनीखां व इब्राहिम के पुलिस बयान प्रदर्श पी. 7, मुलजिम खानुखां ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तिला प्रदर्श पी 08, फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल जीप ट्रोला बिना नंबरी प्रदर्श पी 09, फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी 10, फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुलजिम दिनेश प्रदर्श पी 11, फर्द इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी 12, फर्द मौका तस्दीक बरामदगीस्थल अवैध जीप ट्रोला बिना नंबरी बरंग सफेद द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार प्रदर्श पी 13, आरोप पत्र प्रदर्श पी 14 व पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्श पी 15 आदि दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्तगण दिनेश वगैरह को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता में परीक्षित किया गया, जिसमें उन्होंने गवाहान् के बयानों का गलत होना एवं स्वयं का निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना कथन किया। प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

06. बहस अंतिम सुनी गई। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने दौराने बहस निवेदन किया कि गवाहान् ने अपनी साक्ष्य से अभियोजन कहानी की पुष्टि की है। पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित होता है। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध कर उचित दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया।

07. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस निवेदन किया कि गवाह ओखाराम कहता है कि वक्त कार्यवाही दिनेश कुमार मौके पर नहीं था, दिनेश कुमार के कब्जे से कोई वाहन जब्त नहीं किया था। उक्त गवाह जिरह में स्वीकार करता है कि खानूखां द्वारा दिनेश कुमार को कब, किस दिनांक को कितनी राशि में किन–किन के रूबरू वाहन खरीदा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। गवाह कथन करता है कि वाहन ट्रोला को दिनेश कुमार को अपने कब्जे में रखने बाबत् नहीं देखा। ट्रोला किस स्थान से चोरी हुआ, मुकदमा हुआ या नहीं, वास्तविक मालिक कौन था मुझे जानकारी नहीं है। उक्त कथनों से चोरीशुदा वाहन होना साबित नहीं है। गवाह भंवरलाल पीडब्ल्यू 02 कथन करता है कि प्रदर्श पी 01 व 02 की इबारत आईओ ही बता सकता है जिरह में कहता है कि जिससे उक्त गवाह के रूबरू उक्त फर्दें बनाना और इबारत की जानकारी होने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करता है। आगे कथन करता है कि दिनेश कुमार मौके पर नहीं था, दिनेश कुमार से बरामदगी नहीं हुई है तथा दिनेश कुमार को वाहन कब्जे में

रखते नहीं देखा। वाहन को दिनेश से खरीद के कोई दस्तावेज नहीं है। वाहन चोरी होने के संबंध में मैं नहीं बता सकता आईओ बता सकता है। पीडब्ल्यू 03 ओमाराम कथन करता है कि वाहन किसके रूबरू दिनेश कुमार द्वारा खानूखां को लेन–देन की हो, कब्जा लिया हो यह बात नहीं आई। कितनी राशि में खरीद किया जानकारी नहीं है, मालिक कौन जानकारी नहीं। प्रदर्श 01 में इबारत में लिखी बात अनुसंधान अधिकारी बता सकता है। पीडब्ल्यू 04 सुलेमान पक्षद्रोही है। अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। पीडब्ल्यू 05 मोहनलाल कथन करता है कि ट्रोला जब्त हुआ उस समय कोई एफआईआर दर्ज हुई उसे कोई जानकारी नहीं है। जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं करवायी। ट्रोले के साथ दिनेश कुमार को नहीं देखा। दिनेश कुमार से कोई बरामदगी नहीं हुई। वाहन का रजिस्ट्रेशन स्वामी कौन था वह नहीं बता सकता। दिनेश कुमार से वाहन के कोई दस्तावेज नहीं मिले। पीडब्ल्यू 06 गनीखां पक्षद्रोही है। पीडब्ल्यू 07 मानाराम कथन करता है कि घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, दिनेश कुमार कहां से गाड़ी लाया, कितने पैसों में किसको बेचा मुझे जानकारी नहीं है। खानूखां द्वारा दिनेश कुमार को 40,000 रूपये रोकड़ 10,000 रूपये कागज बनने के बाद देने की बात मैंने नहीं सुनी ना देखी। पुलिस में बयान नहीं हुये। पुलिस बयान डी 01 का ए 02 बी हिस्सा नहीं देना बताया। इसी प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 08 गोसाईराम मानाराम द्वारा कथित बात करता है। पीडब्ल्यू 09 इब्राहिम पक्षद्रोही है। पीडब्ल्यू 10 सहदेव जिरह में कथन करता है कि एफआईआर वाहन चोरी होने बाबत् चितलवाना थाना में दर्ज नहीं करवायी। चोरी स्थल से दर्ज हुए मुकदमे में आरोप पत्र नतीजा दौराने अनुसंधान संलग्न नहीं किया। प्रदर्श पी 12 की इत्तला मेरे रीडर के मार्फत लेखबद्ध की थी। जो मुलजिम के हुबहू दिया जाना या स्वयं के द्वारा लेखबद्ध किया जाना साबित नहीं है। प्रदर्श पी 13 स्थल पूर्व से ही मेरी जानकारी में था। उक्त स्थल घनी आबादी वाला है। वहां से स्वतंत्र मौतबीर नहीं लिये। यह कहना सही है कि उक्त वाहन मैंने जब्त नहीं किया। मुलजिम दिनेश कुमार के सचेत कब्जे से वाहन की बरामदगी नहीं हुई। दौराने अनुसंधान गिरफ्तारशुदा मुलजिम दिनेश कुमार से चोरीशुदा स्थल की तस्दीक नहीं करवायी। दिनेश कुमार को वाहन कब्जे में रखते नहीं देखा। दिनेश कुमार से वाहन खरीदा हो इस संबंध में कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया। वाहन खरीदने के संबंध में कोई फर्द मुर्तिब नहीं की। वाहन दिनेश कुमार ने किन किन गवाह के रूबरू खरीद किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। इस प्रकार तमाम गवाहान से वाहन चोरीशुदा होना साबित नहीं है तथा मुलजिम दिनेश कुमार के कब्जे में रहा हो। इस प्रकार अभियोजन के पक्ष कथनों को आरोपित आरोप को साबित करने में असफल रहा है। अभियोजन कहानी में भारी

संदेह व विरोधाभासी है। जिससे अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :-

1. क्या अभियुक्तगण दिनेश कुमार ने दिनांक 25.09.2010 को वक्त 09.10 एएम पर सरहद बाकासर पर आपके सचेतन कब्जे से बोलेरो ट्रोला बिना नंबरी, जिसके इंजिन नंबर GAA1C14349 व चैसिस नंबर MA1Z P2 GAAA1C29656 बरामद की गई, उक्त बोलेरो ट्रोला को बेईमानीपूर्वक आशय से चुराई हुई संपत्ति होने का विश्वास रखते हुए आपने अपने कब्जे में रखा?

2. क्या अभियुक्तगण दिनेश दिनेश कुमार ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बोलेरो ट्रोला बिना नंबरी को, यह जानते हुए की वह चुराई हुई है, को छिपाने व बेचने में उक्त अभियुक्तगण की सहायता की?

3. यदि हॉ तो उचित दण्ड क्या होगा?

:: विवेचन ::

09. पत्रावली पर आए समस्त दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन प्रकरण तहरीरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पर संस्थित है, जिसके रिपोर्टकर्ता मोहनलाल पी.डब्ल्यू. 05 है। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में कुल 11 गवाह परीक्षित करवाए गए हैं।

10. प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण गवाह रिपोर्टकर्ता मोहनलाल पी.डब्ल्यू. 05 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 25.09.2010 को पुलिस थाना चितलवाना में एएसआई के पद पर कार्यरत था। उस रोज थानाधिकारी पुलिस थाना चितलवाना सहदेव चौधरी की माफिक इत्तिलानुसार थाना से वक्त करीब 8.15 एएम पर वह, कानि. भंवरलाल, ओमाराम, ओखाराम मय सरकारी जीप चालक श्रवण कुमार मय अनुसंधान बॉक्स के रवाना होकर वक्त करीब 09.00 एएम पर सिसावा फांटा पहुंच नाकाबंदी शुरू की गई तो दौराने नाकाबंदी वक्त 09.10 एएम पर एक बोलेरो ट्रोला बिना नंबरी सफेद कलर का बाखासर की तरफ से आता दिखाई दिया, जिसको मन एएसआई व जाब्ता ने इशारा देकर रुकवाया तो चेक किया तो बोलेरो चालक को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम खानुखां पुत्र सादीकखां जाति दल सिंधी मुसलमान उम्र 32 वर्ष निवासी सिहानीया होना बताया। बोलेरो के कागजात के बारे में पूछा तो घबराकर कहने लगा मेरे पास कोई कागजात नहीं है और बताया की यह ट्रोला उसे दिनेश कुमार पुत्र चुतराराम जाति

करवासड़ा विश्नोई निवासी सिसावा व ओमप्रकाश उर्फ श्रवण पुत्र लाधुराम जाति विश्नोई निवासी खार की बेरी रोहिला धोरीमन्ना वालों ने उसे 50 हजार रुपये में बेचना बताया और कहा की वे बैठे हैं, उसको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर कोई दिक्कत आयी तो वे जवाब देंगे, ज्यादा पूछने पर घबराया और संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। वाहन संदिग्ध प्रतीत होने से व दिनेश व ओमप्रकाश भी संदिग्ध व्यक्ति होने की जानकारी उसे हुयी। जिसपर उक्त बोलेरो जीप टोला इंजन नम्बर जीएए 1 सी 14349 को खानुखा ने अपने कब्जे में रखकर नम्बर प्लेट व बोलेरो की पहचान छुपाकर अपने कब्जे में रखकर चलाता हुआ पाये जाने से खानुखां के विरूद्ध जुर्म धारा 411, 414 भा.द.स का अपराध घटित होना पाया जाने से उक्त बोलेरो को रूबरू मौतबिरान ओमाराम व भंवरलाल के जब्त किया तथा खानुखा के जरिये फर्द गिरफ्तार किया। फर्द जब्ती बिना नम्बरी प्रदर्शपी 1 है, जिसपर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के इ से एफ मुलजिम खानु खां के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल बोलेरो प्रदर्शपी 2 है, जिसपर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के इ से एफ मुलजिम खानुखा के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम खानुखा के प्रदर्शपी 3 है, जिसपर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के इ से एफ मुलजिम खानुखा के व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। बाद मौका कार्यवाही थाना पहुंच कायमी मुकदमा बाबत् थानाधिकारी व लिखित में रिपोर्ट दी जो प्रदर्शपी 5 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। रवानगी रपट प्रदर्शपी 6 है। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि 8.15 एएम पर थाना से रवाना हुए थे। ट्रोले को 9.15 एएम पर रूकवाया था। थानाधिकारी के द्वारा दी गई सूचना पर ट्रोला चोरी का होना ज्ञात हुआ था। गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि जब ट्रोला जब्त किया उस वक्त उक्त बोलेरो ट्रोला चोरी का ऐसी कोई एफआईआर की जानकारी उसे नहीं थी तथा जब्ती का समय दिन का है। जब्तीस्थल के पास दुकाने आई हुई है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि जब्ती के दोनों मौतबीर उसके थाने के पुलिस कानि. थे तथा मौके पर उसने जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं की थी। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उसने बोलेरो ट्रोले के साथ दिनेश कुमार को नहीं देखा था तथा उसके द्वारा दिनेश कुमार से कोई बरामदगी नहीं की गई तथा बोलेरो में दिनेश कुमार के पहचान के कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि वक्त कार्यवाही दिनेश कुमार वहां पर हाजिर नहीं था। दिनेश कुमार से किस तारीख को बोलेरो ट्रोला खरीदा खानुखां ने ही बताया। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि खानुखां ने उसे वाहन का

रजिस्टर स्वामी कौन था, उसे नहीं बताया। अजखुद कहा कि दिनेश से खरीदना बताया था। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश से वाहन खरीदने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मिले।

11. गवाह ओखाराम पी.डब्ल्यू. 01 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 25.09.2010 को पुलिस थाना चितलवाना में कानि. के पद पर कार्यरत था। वह मोहनलाल एएसआई के साथ में भंवरलाल, ओमाराम, सरकारी जीप चालक श्रवणकुमार के वक्त करीब 08.15 एएम पर थाने से रवाना होकर वक्त करीब 9 एएम पर गांधव से बाखासर रोड पर सिवाड़ा फांटा पहुंचे व नाकाबंदी शुरू की, वक्त करीब 09 एएम पर बाखासर डूंगरी सिसावा फांटा की तरफ से एक सफेद रंग की बिना नम्बरी जीप आती दिखाई दी। हमरा जाब्ता द्वारा उस जीप को इशारा देकर रूकवाया व चालक का नाम पता पुछा तो खानुखां पुत्र सदीक खां जाति सिंधी मुसलमान निवासी सेडवा होना बताया। जीप ट्रोला के कागजात के बारे मे पुछा तो कागजात होना नहीं बताया और बताया कि उसे यह गाडी दिनेश व श्रवण कुमार ने पचास हजार में बेची है और चालक बताया कि और कोई कारवाई होगी तो देख लेंगे। गाडी संदिग्ध होने से जरिये फर्द गाडी को जब्त किया गया। जरिये फर्द खानुखां को गिरफतार किया गया। बाद कार्यवाही जब्तसुदा वाहन मय मुलजिम के थाना हाजिर आये। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वक्त कार्यवाही दिनेश कुमार मौके पर नहीं था। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनेशकुमार से कोई वाहन जब्त नहीं किया। खानुखां द्वारा दिनेशकुमार व श्रवणकुमार से कब किस दिनांक को एवं कितने प्रतिफल राशी मे एवं किन–किन के रूबरू वाहन खरीदा इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, एसएचओ बता सकते हैं। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उसने वाहन बोलेरो टोला दिनेश कुमार द्वारा अपने कब्जे में रखने बाबत नहीं देखा तथा उक्त बोलेरो टोला किस स्थान से चोरी हुई, मुकदमा हुआ या नहीं हुआ, वास्तविक मालिक कौन था इस बारे मे उसे जानकारी नहीं है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि वाहन की लेनदेन बाबत उसे जानकारी नहीं है, आईओ बता सकते हैं तथा उस दौरान वह मोहनलाल एएसआई के अधिनस्थ काम करता था। आगे गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि मोहन लाल के अधिनस्थ काम करने से साक्ष्य बना हो।

12. गवाह भंवरलाल पी.डब्ल्यू. 02 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 25.09.2010 को वह पुलिस थाना चितलवाना में कानि. के पद पर कार्यरत था, उस रोज थानाधिकारी श्री सहदेव चौधरी के

आदेशानुसार सुबह करीब 08 एएम पर श्री मोहनलाल एएसआई के साथ वह कानि. भंवरलाल, ओमाराम, ओखाराम, सरकारी जीप चालक श्रवणकुमार जरिये सरकारी वाहन थाने से रवाना होकर 09 एएम पर सिसावा फांटा बाखासर रोड पर पहुंचकर नाकाबंदी शुरू की। दौराने नाकाबंदी 09.10 एएम पर एक बोलेरो ट्रोला बिना नंबरी बाखासर की तरफ से आताहुआ दिखाई दिया, जिसे हमरा जाब्ता ने इशारा कर रूकवाया तथा चालक का नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम खानु खां होना बताया। बोलेरो जीप के कागजात के बारे में पुछा तो अचनाक घबरा कर कहने लगा की उसकी कोई गलती नहीं है तथा उसके पास बोलेरो के कागजात नही है व कहा कि ट्रोला उसे दिनेश व ओमप्रकाश उर्फ श्रवण ने उसे 50000 में बेचा है और उन्होने कहा है कि वे बैठे है, जो भी होगा वे अपने आप जवाब देंगे, उसे तो केवल ट्रोला अपने पास रखना है। इस प्रकार मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत होने पर बोलेरो ट्रोला बिना नम्बरी को अभियुक्त द्वारा बिना नम्बर प्लेट एवं टोला की पहचान छिपा कर चलाते हुए पाया जाने पर अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा 411, 414 आईपीसी के तहत दण्डनीय होने से मौके पर ही मुझे व ओमाराम को मौतबिर मामुर कर बोलेरो टोला को जब्त किया गया एवं अभियुक्त को गिरफतार किया गया, मोके पर ही कार्यवाही के दौरान फर्द जब्ती बिना नम्बरी बोलेरो जीप टोला प्रदर्श पी 01 व जीप टोला बरामदगी स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 02 फर्द गिरफतारी अभियुक्त खानु खां प्रदर्श पी 03 की मुर्तीब की गई, उक्त सभी फर्दों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है बाद कारवाई मय बोलेरो ट्रोला व अभियुक्त को लेकर थाना हाजिर आये थानाधिकारी ने प्रकरण दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही शुरू की। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि नजरी तथाकथित बरामदगीस्थल सिसावा के आस–पास दुकाने व खेत है तथा उक्त स्थल के आस–पास स्वतंत्र मौतबीर नहीं बुलाया था। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्श पी 01 और 02 की इबारत आईओ ही बता सकता है। उक्त घ टना में अभियुक्त दिनेश कुमार वक्त घटना मोके पर नहीं था। दिनेश कुमार से कोई बरामदगी नही हुई है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उसने दिनेश कुमार को उक्त वाहन को अपने कब्जे में रखते हुए नहीं देखा तथा मुलजिम खानु खां द्वारा उक्त वाहन को दिनेश कुमार से खरीद किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसा कोई गवाह का नाम नहीं बताया किस–किस व्यक्ति के रूबरू खरीदा। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि वाहन चोरीशुदा होने के सबध में वह नहीं बता सकता आईओ ही बता सकता है तथा वह तत्कालिन थानाधिकारी के अधिनस्थ काम करता था। आगे गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि

अधिनस्थ काम करने से झुठा साक्ष्या बनाया हो।

13. गवाह ओमाराम पी.डब्ल्यू. 03 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 25.09.2010 को पुलिस थाना चितलवाना में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस रोज इत्तिला मिली कि बाखासर से सिसावा की तरफ एक बोलेरो पिकअप आ रही है। जिस पर थाने से वक्त करीब 8.15 एएम पर थाने से मोहनलाल एएसआई के साथ वह, भंवरलाल, ओखाराम सरकारी जीप चालक श्रवणकुमार के रवाना होकर सिसावा फांटा पहुंचे एवं नाकाबंदी शुरू की। वक्त करीब 9.10 एएम पर एक बोलेरो जीप मय ट्रोला सफेद रंग बिना नंबरी बाखासर डुंगरी की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे हमरा जाब्ता द्वारा रूकवाया गया तथा चालक का नाम–पता पूछा तो उसने अपना नाम खानू खां होना बताया। ट्रोला में क्या भरा हुआ है तथा उसके कागजात के बारे में घबरा गया व कहने लगा कि उसकी कोई गलती नहीं है। उसके पास गाड़ी के कागजात नहीं है। यह जीप ट्रोला उसे दिनेश व ओमप्रकाश से उसने 50,000 रुपयों में खरीदा है और उसे कहा वे बैठे है। जवाब अपने आप देंगे और कहा ट्रोला अपने पास रखकर काम लेते रहो व खानू खां उल्लूल–जूल्लूल बाते करने लगा तथा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे रहा था। गाड़ी बेचने वालों की जानकारी प्राप्त की तो चोरी के धंधे में लिप्त होना ज्ञात हुआ। वाहन संदिग्ध होने से बिना नंबरी बोलेरो इंजिन नंबर 14349 चैसिस नंबर 29656 थे। खानू खां बिना कागजात, बिना नंबर प्लेट तथा ट्रोले की पहचान छूपाकर चलाता पाया गया। ट्रोले को जरिये फर्द प्रदर्श पी 01 के जब्त किया गया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा नजरी बरामदगीस्थल मूर्तिब की गई, जो प्रदर्श पी 02 है, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम खानू खां को जरिये फर्द प्रदर्श पी 03 के गिरफ्तार किया गया, जिस पर सी से डी पर उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश मौके पर नहीं था तथा दिनेश कुमार द्वारा उक्त वाहन को देने बाबत उसने कोई लेन–देन करते वाहन खानुखान के कब्जे से सुपुर्द करते नहीं देखा। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उसके अनुसार उक्त वाहन किसके रूबरू दिनेश कुमार द्वारा खानुखान को लेने–देन की हो कब्जा लिया हो, यह बात नहीं आयी तथा दिनेश कुमार से खानुखां द्वारा श्रवण कुमार से कब किस दिनांक को एवं कितनी प्रतिफल राशि एवं किन–किनके रूबरू वाहन खरीदा उस बारे में जानकारी नहीं है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उक्त वाहन ट्रोला किस स्थान से चोरी हुआ, मुकदमा हुआ, वास्तविक मालिक कौन था इस बारे में जानकारी नहीं है। अजखुद कहा अनुसंधान अधिकारी बता सकता है। आगे गवाह इस

कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी 1 की पुरी इबारत अनुसंधान अधिकारी बता सकता है तथा उक्त वाहन दिनेश कुमार से खानुखां द्वारा खरीद किया हो इस बाबत कोई दस्तावेज नहीं मिला इस बाबत वह नहीं बता सकता। जांच अधिकारी बता सकता है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि दौराने अनुसंधान चोरीसुदा स्थल की उसने कोई तस्दीग नहीं करवायी तथा वह तत्कालीन थानाधिकारी मोहनलाल एएसआई के अधिनस्थ कार्य करता था। आगे गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि वह मोहनलाल के अधिनस्थ कार्य करने से झुठा साक्ष्य बना हो तथा न्यायालय में झुठा साक्ष्य दे रहा हो।

14. गवाह सुलेमान पी.डब्ल्यू. 04 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि कितनी पुरानी बात है। उसे जानकारी नहीं है, किसने–किसने कौनसी गाड़ी खरीदी उसे जानकारी नहीं है। गवाह एपीओ के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 04 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान देने से इनकार किया। खानु खां को वह नहीं पहचानता, न ही उसके रिश्तेदार लगता है। गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि खानु खां ने दिनेश से कोई बोलेरो गाड़ी खरीदी हो उसकी उसे जानकारी हो तथा मुलजिमान को बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दे रहा हो।

15. गवाह गनीखां पी.डब्ल्यू. 06 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि बयान देने की दिनांक से करीब दस वर्ष पहले की बात है। वह खानुखां को नहीं जानता। उसके सामने खानुखां ने कोई जीप ट्रोला नहीं खरीदा था। गवाह एपीओ के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान देने से इनकार किया। गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि खानुखां ने उसके सामने दिनेश कुमार से कोई बोलेरो जीप ट्रोला खरीद किया हो। गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि मुलजिम को बचाने के लिए झूठा साक्षी बना हो तथा वह खानुखां व दिनेश को जानता हो।

16. गवाह मानाराम पी.डब्ल्यू. 07 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि वर्ष 2010 की बात है। वह सेसावा फांटा पर अपनी बोलेरो केम्पर खड़ी करता है और किराये पर उसको चलाता है। वह दिनेश कुमार पुत्र

चुतराराम को भली–भांति जानता है। दिनेश कुमार कई दिनों से सफेद कलर की बोलेरो कैम्पर बिना नम्बरी लेकर घुमता था तो उसने पुछा की गाड़ी कहां से लाया तो उसने बताया की गाड़ी गुजरात से लाया हूं तब उसने बताया की उसे यह गाडी बेचनी है कोई ग्राहक हो तो बताना। कुछ दिन बाद सेसावा फाटा पर दिनेश कुमार व खानुखां सिंधी मुसलमान दोनों सेसावा फांटा पर आये तथा दिनेश कुमार ने उक्त बिना नम्बरी बोलेरो कैम्पर 50 हजार में खानुखां को बेची थी, तब खानुखां ने 40 हजार रूपये रोकड़ दिये थे तथा शेष 10 हजार रूपये कागज बनने के बाद देने को कहा था। दिनेश कुमार के साथ ओमप्रकाश नहीं था। खानुखां के साथ दो मुसलमान थे उनके नाम उसे याद नही है। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि घटना के बारे में उसे जानकारी नही हैं। वह दिनेश कुमार को जानता है, खानुखां को नहीं जानता है। गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार कहां से गाड़ी लाया और कितने पैसों में किसको बैचा उसे इसकी जानकारी नहीं है। सन् 2010 में उसने दिनेश व खानुखां को सेसावा फांटे पर नहीं देखा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनेश कुमार ने बिना नम्बरी 50 हजार में खानुखां को बैचान की हो। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि खानुखां के द्वारा 40 हजार रूपये रोकड़ दिये हो तथा 10 हजार रूपये कागज बनने के बाद देने की बात नहीं उसने सुनी व न ही देखी। बयान देने की दिनांक से पूर्व उसके पुलिस में बयान नहीं हुये थे। पुलिस बयान प्रदर्शडी 1 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान देने से इंकार किया।

17. गवाह गोसाईराम पी.डब्ल्यू. 08 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि वर्ष 2010 की बात है। वह सेसावा फांटा पर अपनी किराणा की दुकान चलाता है। वह दिनेश कुमार को भली–भांति जानता है। दिनेश कुमार कई दिनों से सफेद कलर की बोलेरो कैम्पर बिना नम्बरी लेकर घुमता था। दिनेश कुमार उक्त बोलेरो कैम्पर बिना नंबरी उसके पास लेकर आया था और बताया की उसे यह गाडी बेचनी है कोई ग्राहक हो तो बताना। कुछ दिन बाद सेसावा फाटा पर दिनेश कुमार व खानुखां सिंधी मुसलमान दोनों सेसावा फांटा पर आये तथा दिनेश कुमार ने उक्त बिना नम्बरी बोलेरो कैम्पर 50 हजार में खानुखां को बेची थी, तब खानुखां ने 40 हजार रूपये रोकड़ दिये थे तथा शेष 10 हजार रूपये कागज बनने के बाद देने को कहा था। दिनेश कुमार के साथ ओमप्रकाश नहीं था। खानुखां के साथ दो मुसलमान थे उनके नाम उसे याद नही है। दौराने जिरह गवाह कथन करता है कि घटना के बारे में उसे जानकारी नहीं है। वह दिनेश कुमार को जानता है। खानुखां को नहीं जानता है। गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार कहां से गाड़ी

लाया और कितने पैसों में किसको बैचा उसे इसकी जानकारी नहीं है। सन् 2010 में उसने दिनेश व खानुखां को सेसावा फांटे पर नहीं देखा था। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि दिनेश कुमार ने बिना नम्बरी 50 हजार में खानुखां को बैचान की हो। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि खानुखां के द्वारा 40 हजार रूपये रोकड़ दिये हो तथा 10 हजार रूपये कागज बनने के बाद देने की बात नहीं उसने सुनी व न ही देखी। बयान देने की दिनांक से पूर्व उसके पुलिस में बयान नहीं हुये थे। पुलिस बयान प्रदर्शडी 1 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान देने से इंकार किया।

18. गवाह इब्राहिम पी.डब्ल्यू. 09 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि कितनी पुरानी बात है उसे पता नहीं है। किसने किसको वाहन बेचा उसे जानकारी नहीं है। गवाह एपीओ के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित रहा तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करता है। एपीओ के द्वारा की गई जिरह के दौरान गवाह कथन करता है कि उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे। पुलिस बयान प्रदर्श पी 07 का ए से बी भाग गवाह को पढ़कर सुनाया तो ऐसे बयान देने से इनकार किया। वह सुलेमान को जानता है। गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि खानुखां को जानता हो। वह किसी दिनेश को नहीं जानता। गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार ने बिना नंबरी बोलेरो कैम्पर खानुखां को उसके सामने बेची हो तथा मुलजिमान को बचाने के लिए न्यायालय में झूठे बयान दिए हो।

19. गवाह सहदेव पी.डब्ल्यू. 10 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का कथन करता है कि दिनांक 25.09.2010 को पुलिस थाना चितलवाना में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रार्थी मोहनलाल एएसआई ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट चोरी का वाहन बरामद करने के संबंध में उसके समक्ष पेश की, जो रिपोर्ट प्रदर्शपी 5 है जिसपर ए से बी मोहनलाल एएसआई सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 96/10 अन्तर्गत धारा 411, 414 भा.द.स में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। मुलजिम खानुखां ने धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इतला दी जो प्रदर्शपी 8 है, जिसपर ए से बी उसके व सी से डी खानुखां के हस्ताक्षर है। मुलजिम की इतला के आधार पर सेसावा फाटा पहुंचकर रूबरू मौतबिरान के फर्द मौका तस्दीग बरामदगीस्थल जीप ट्रोला बिना नम्बरी प्रदर्शपी 9 मुर्तिब की, जिसपर ए से बी उसके व सी से डी व इ से एफ मौतबिरान तथा जी से एच खानुखां के आई से जे मोहनलाल एएसआई के हस्ताक्षर है। दौराने अनुसंधान प्रार्थी मोहनलाल, ओखाराम, भवंरलाल, ओमाराम, सुलेमानखां, गनीखां, इबराहीमखां, बसंन्तभाई, मानाराम, गोसाइराम, तगाराम के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। फर्द

सुपुर्दगी वाहन बोलेरो पीकअप बिना नम्बरी जेएमसाहब के आदेशानुसार वाहन मालिक बसन्तभाई को सुपुर्द की थी, फर्द सुपुर्दगीनामा प्रदर्शपी 10 है, जिसपर ए से बी प्रेमाराम के तथा सी से डी भंवरलाल के इ से एफ बंसन्तभाई के तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त वाहन के संबंध में पुलिस थाना कापोतरा सुरतसिटी गुजरात में दर्ज मुकदमा की एफआईआर व वाहन के कागजात की फोटोप्रतियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। फर्द गिरफतारी व जामा तलाशी मुलजिम दिनेश उर्फ दिनीयां पुत्र चुतराराम प्रदर्शपी 11 है, जिसपर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा इ से एफ मुलजिम दिनेश कुमार के तथा इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। जैर हिरासत में अभियुक्त दिनेश ने स्वच्छ से इतला दी की उसने जो पीकअप ट्रोला बिना नम्बरी कापोदरा सुरत से चोरी किया था व उसने खानुखां को बैचान किया था वह स्थान साथ चल कर बता सकता है। फर्द इतला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्शपी 12 है, जिसपर ए से बी उसके व सी से डी दिनेश कुमार के हस्ताक्षर है। फर्द मौका तस्दीग बरामदगीस्थल अवैध जीप ट्रोला बिना नम्बरी बरंग सफेद द्वारा अभियुक्त दिनेश कुमार प्रदर्शपी 13 है, जिसपर ए से बी व सी से डी मौतबिरान के तथा इ से एफ दिनेश कुमार तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। रवानगी रपट मोहनलाल एएसआई व जाब्ता प्रदर्शपी 6 है, जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिम खानुखां व दिनेश कुमार उर्फ दिनीयां के विरूद्ध धारा 411, 414 भा.द.स में अपराध प्रमाणित मानकर उपरोक्त धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जो प्रदर्शपी 14 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पर्चा चाक एफआईआर प्रदर्शपी 15 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उसने उक्त वाहन के मालिक की कोई इतला लेखबद्ध नहीं की तथा उक्त वाहन के मालिक ने वाहन चोरी होने बाबत कोई मुकदमा थाना चितलवाना में दर्ज नहीं करवाया। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि एफआईआर जहां चोरी स्थल से दर्ज हुयी उसमें नतीजा आरोप पत्र का संकलन दौराने अनुसंधान उसने नहीं किया। प्रदर्शपी 12 फर्द इतला उसके रीडर तत्कालीन समय प्रेमाराम ने उसके निर्देशन में लेखबद्ध की। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी 12 में उसके रीडर प्रेमाराम द्वारा उसके निर्देशन में उक्त इतला लेखबद्ध की हो इस बात का अंकन इस फर्द में नहीं है। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्श 13 में उल्लेखित स्थल उक्त फर्द मुर्तिब से पूर्व दिनांक 25.09.2010 को उसके जानकारी में था। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी 13 का स्थल आम आबादी वाला घनी दुकानों वाला स्थल है तथा फर्द प्रदर्शपी 13 मुर्तिब के वक्त

उसने स्वतंत्र मौतबिर नहीं लिया। अजखुद कहा की स्वतंत्र मौतबिर बनने को कोई तैयार नहीं था। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी 10, 13 में स्वतंत्र मौतबिर बनने को कोई तैयार नहीं था इस बात का कोई अंकन उक्त फर्दों में नहीं है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उक्त वाहन उसने जब्त नहीं किया था तथा मुलजिम दिनेश कुमार के संचेत कब्जे से उक्त वाहन की बरामदगी नहीं हुयी थी। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि चोरीसुदा स्थल से उसने दिनेश कुमार से कोई मौका तस्दीग नहीं करवायी थी। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी 6 में रोजनामा तारीख में महीने में व समय में काट छाट की हुयी है तथा किसी अधिकारी के लघु हस्ताक्षर नहीं है तथा प्रदर्शपी 6 की हस्तलिखित उसकी नहीं है, यह लिखित ओमाराम की है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि असल से मिलान उक्त फर्द प्रदर्शपी 6 ओमाराम ने की थी तथा प्रदर्शपी 6 पर असल से मिलान करने वाले ओमाराम कानि. के हस्ताक्षर नही है। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि उसने व जाब्ता मोहनलाल, ओखाराम, भंवरलाल, ओमाराम ने दिनेश कुमार को उक्त वाहन अपने कब्जे व उपयोग में रखते नहीं देखा। अजखुद कहा की अनुसंधान में आया हुआ है। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उसके अनुसंधान में लेखबद्ध किये बयानों में यह कहीं नहीं आया है कि वक्त घटना उक्त वाहन दिनेश कुमार कब्जे में रखकर चला रहा हो। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में परिवादी ने कहीं नहीं बताया की उक्त वाहन खानुखां ने दिनेश कुमार से किन–किन गवाह के रूबरू खरीद किया हो। अजखुद कहा की खानुखां ने दिनेश से खरीदना बताया। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार से खानुखां ने वाहन खरीद किया इस संबंध में उसने दौराने अनुसंधान विशिष्ट तौर से अलग से कोई फर्द मुर्तिब नहीं की। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि दौराने अनुसंधान उसने उक्त वाहन खरीदने करने के संबंध में किसी प्रकार कोई दस्तावेज का संकलन नहीं किया। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उसने संबधित कैमरे वाले को बुलाकर वाहन की जब्ती के समय विडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं करवायी। उस वक्त एक एसपी ऑफिस में कैमरे थे। आगे गवाह इस कथन को गलत होना स्वीकार करता है कि उसने गलत अनुसंधान कर उसके तत्कालीन समय के अधिनस्थ कर्मचारी के बयान उनके मनमर्जी से लिखकर झुठा फंसाया हो।

20. गवाह प्रेमाराम पी.डब्ल्यू. 11 अपने न्यायालय बयानों में सशपथ इस आशय का

कथन करता है कि दिनांक 25.09.2010 को पुलिस थाना चितलवाना में कानि० के पद पर कार्यरत था। उस रोज प्रकरण संख्या 96/10 में थानाधिकारी श्री सहदेव चोधरी ने दौराने अनुसंधान उसके व हिन्दुसिंह के रूबरू सरहद सिसावा फांटा पर शाम को करीब 5:30 बजे पर अभियुक्त खानुखां की निशादेही से जीप ट्रोला बोलेरो बिना नम्बरी बरामदगी स्थल का मौका तस्दीग करवाया था। मौका तस्दीग प्रदर्शपी 9 है, जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 20.10.2010 को न्यायालय में आदेश से अनुसंधान अधिकारी श्री सहदेव चौधरी ने उसके व भंवरलाल के रूबरू थाना परिसर जरिये फर्द सुपुर्दगी प्रदर्शपी 10 के बोलेरो पीकअप बीजे 05 एयु 1673 को बसन्तभाई को सुपुर्द किया था जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15.12.2010 को अनुसंधान अधिकारी सहदेव चौधरी ने उसके व अमरसिंह के रूबरू अभियुक्त दिनेश को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 11 के थाना परिसर चितलवाना से गिरफतार किया था जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 16.12.2010 को अनुसंधान अधिकारी श्री सहदेव चौधरी ने उसके व भंवरलाल के रूबरू अभियुक्त दिनेश उर्फ दिनीया ने खानुखां को उक्त बोलेरो बेचान करने के स्थान सरहद सीसावा फांटा का मौका तस्दीग करवाया था। मौका तस्दीग प्रदर्शपी 13 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है दिनेश कुमार के कब्जे से पीकअप ट्रोला वाहन जब्त नहीं किया था तथा प्रदर्शपी 13 का स्थल आम आबादी व दुकानों वाला स्थान है। प्रदर्शपी 13 मौका तस्दीग बाबत स्वतंत्र मौतबिर के लिये बुलाया या नहीं इसके बारे में वह नहीं बता सकता आईओ बता सकता है। प्रदर्शपी 13 की इबारत आईओ बता सकता है। वह नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें अनुसंधान सहदेव चौधरी ने किया वो ही बता सकते हैं। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि थाना से बाहर आते तथा वापस जाते हैं तब रवानगी रपट व आमद रपट में इन्द्राज करते हैं। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनांक 16.12.2010 को वे सीसावा फांटा पर गये हो तथा वापस आये हो उस बाबत उनकी रवानगी रपट व आमद रपट पत्रावली पर नहीं है, इस बाबत आईओ ही बता सकता है। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि प्रदर्शपी 13 का स्थल मुलजिम दिनेश के स्वामित्व कब्जा उपयोग का नहीं है आम आवगमन सड़क का स्थल है तथा वह तत्कालीन थानाधिकारी के अधिनस्थ कार्य करता है। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि तत्कालीन थानाधिकारी सहदेव चौधरी के अधिनस्थ कार्य करने से झुठा साक्षी बना हो।

21. निष्कृषतः पत्रावली पर आई समस्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के समग्र

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि गवाह ओखाराम पी.डब्ल्यू. 01 ओखाराम अपने मुख्य परीक्षण में कथन करता है कि अभियुक्त खानु खां से जीप ट्रोला के कागजात के बारे में पूछा तो कागजात होना नहीं बताया। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि वक्त कार्यवाही दिनेश कुमार मौके पर नहीं था। आगे गवाह इस सुझाव को भी सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार से कोई वाहन जब्त नहीं किया। उक्त गवाह आगे कथन करता है कि अभियुक्त खानूखां द्वारा दिनेश कुमार को कब, किस दिनांक को कितनी राशि में किन–किन के रूबरू वाहन खरीदा के बारे में उसे जानकारी नहीं है। गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि वाहन ट्रोला को दिनेश कुमार को अपने कब्जे में रखने बाबत् नहीं देखा। ट्रोला किस स्थान से चोरी हुआ, मुकदमा हुआ या नहीं, वास्तविक मालिक कौन था मुझे जानकारी नहीं है तथा वाहन की लेन देन के संबंध में भी उसे जानकारी नहीं है। इसी क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू. 02 भंवरलाल है जो कि फर्द जब्ती व फर्द गिरफतारी का गवाह होने से अपने मुख्य परीक्षण में औपचारिक कथन करता है। दौराने जिरह प्रदर्श पी 01 व 02 की इबारत की जानकारी होने के संबंध में अनभिज्ञता प्रकट करता है। आगे गवाह यह भी कथन करता है कि दिनेश कुमार वक्त घटना मौके पर नहीं था, उससे कोई बरामदगी नहीं हुई। गवाह इस सुझाव को भी सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार को उक्त वाहन को अपने कब्जे में रखते हुए नहीं देखा, यह भी सही है कि उसने दिनेश कुमार मुलजिम खानु खां द्वारा उक्त वाहन को दिनेश कुमार से खरीद किए जाने का कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसा कोई गवाह का नाम नहीं बताया कि किस–किस व्यक्ति के रूबरू खरीदा। गवाह पी.डब्ल्यू. 03 ओमाराम अपने मुख्य परीक्षण में मौतबीर जब्ती वाहन व फर्द गिरफतारी बाबत् औपचारिक करता करता है। दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश मौके पर नहीं था तथा उक्त वाहन किसके रूबरू दिनेश कुमार द्वारा खानु खां को लेन देन की हो कब्जा लिया, यह बात नही आयी। गवाह आगे इस सुझाव को भी सही होना स्वीकार करता है कि उक्त वाहन ट्रोला किस सीन से चोरी हुआ मुकदमा हुआ या नही वास्तविक मालिक कौन है इस बारे में उसे जानकारी नहीं है। इसी क्रम में महत्वपूर्ण वाहन खरीद के गवाह के रूप में परीक्षित हुए गवाह पी.डब्ल्यू. 04 सुलेमान, पी.डब्ल्यू. 06 गनी खां व पी.डब्ल्यू. 09 इबराहिम एक ही स्वर में अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते है कि कितनी पुरान बात है उन्हें जानकारी नहीं है; किसने किससे कौन सी गाडी खरीदी थी उन्हें जानकारी नहीं है। उक्त दोनो गवाह एपीओ के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित रहे है तथा अभियोजन कहानी की ताईद नहीं करते है। घटना के रिपोर्टकर्ता मोहनलाल पी.डब्ल्यू. 05 जिरह में इस बात को सही

होना स्वीकार करता है कि ट्रोला जब्त हुआ उस समय कोई एफआईआर दर्ज हुई उसे कोई जानकारी नहीं है। जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी नहीं करवायी। आगे गवाह इस सुझाव को भी सही होना स्वीकार करता है कि ट्रोले के साथ दिनेश कुमार को नहीं देखा तथा दिनेश कुमार से कोई बरामदगी नहीं हुई। बोलेरा ट्रोला में दिनेश कुमार की पहचान के कोई दस्तावेज नहीं मिले। आगे गवाह इस कथन को भी सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश से वाहन खरीदने के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं मिले। गवाह मानाराम पी.डब्ल्यू. 07 व गोसाइराम पी.डब्ल्यू. 08 अपने मुख्य परीक्षण में कथन करते है कि दिनेश कुमार ने अपने उक्त बिना नम्बरी बोलेरो कैम्पर 50 हजार में खानु खां को बेची थी तब खानुखां ने 40 हजार रूपये रोकड़ दिये थे तथा शेष 10 हजार रूपये कागज बनने के बाद देने को कहा था। दौराने जिरह गवाहान् कथन करते है कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। आगे गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि दिनेश कुमार कहा से गाड़ी लाया और कितने पैसों में किसको बेचा उसे जानकारी नहीं है। आगे गवाह इस सुझाव को भी सही होना स्वीकार करता है कि खानु खां के द्वारा 40 हजार रूपये रोकड़ दिये हो तथा 10 हजार रूपये कागज बनने के बाद देने की बात नहीं उसने सुनी व न ही देखी। अनुसंधान अधिकारी के रूप में परीक्षित हुए गवाह सहदेव पी.डब्ल्यू. 10 है जो कि अपने मुख्य परीक्षण में अनुसंधान बाबत् औपचारिक कथन करता है कि दौराने जिरह गवाह इस कथन को सही होना स्वीकार करता है कि उसने वाहन के मालिक की कोई इतला लेखबद्ध नहीं की। मुलजिम दिनेश कुमार के सचेतन कब्जे से उक्त वाहन की बरामदगी नहीं हुयी थी। उसने व मय जाब्ता ने दिनेश कुमार को उक्त वाहन कब्जे व उपयोग में रखते हुए नहीं देखा। वाहन के मालिक ने वाहन चोरी के संबंध में कोई मुकदमा चितलवाना में दर्ज नहीं करवाया। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी. 05 का अवलोकन करें तो प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट का रिपोर्टकर्ता/शिकायतकर्ता वाहन मालिक नहीं है। उक्त वाहन के मालिक को न्यायालय के समक्ष भी परीक्षित नही करवाया गया। इसके अतिरिक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं पर दर्शित नहीं है कि वाहन बोलेरो ट्रोलो अभियुक्त दिनेश कुमार के सचेतन कब्जे से जब्त किया गया था, जिससे कि अभियोजन कहानी की कडी कमजोर होती है। खरीद व बेचान के संबंध में परीक्षित हुए गवाहान् के पक्षद्रोही घोषित होने तथा दौराने जिरह गंभीर विरोधाभासी कथन किये जाने के कारण अभियेाजन कहानी की सत्यतता व विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न होता है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी कथन किया गया कि मुलजिम दिनेश कुमार के सचेतन कब्जे से उक्त वाहन की बरामदगी नहीं हुयीथी। दिनेश कुमार से वाहन खरीदा हो इस संबंध में कोई

दस्तावेज संलग्न नहीं किया। उक्त वाहन दिनेश कुमार द्वारा किन किन गवाह के रूबरू खरीद किया, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज नहीं है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों व परिस्थितियों से न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष मुलजिम के विरूद्ध अंतर्गत धारा 411 व 414 भारतीय दण्ड संहिता का अपराधे संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्त को उक्त धाराओं के तहत संदेह के लाभ में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायसंगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

::—आदेश—::

22. परिणामतः अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ दिनिया पुत्र चुतराराम, जाति विश्नोई, उम्र 37 वर्ष, निवासी सिसावा, पुलिस थाना चितलवाना, जिला जालोर को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 411 व 414 भारतीय दण्ड संहिता से संदेह के लाभ में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की ओर से पूर्व में अपनी नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके स्वतः निरस्त समझे जावे।

23. अभियुक्त को यह आदेश दिया जाता है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर उपस्थित होने बाबत अभियुक्त धारा 437(ए) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 06 माह की अवधि के लिए 10,000/— रूपये की जमानत एवं इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस न्यायालय में पेश करे।

(हिम्मत राज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर,
जिला—जालोर

24. निर्णय आज दिनांक 29.04.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हिम्मत राज)
न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर,
जिला—जालोर